

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI****ORIGINAL APPLICATION NO. 255/2025****IN THE MATTER OF:****JAGAN PRASAD TEHRIYA****.....APPLICANT(s)****VERSUS****STATE OF UTTAR PRADESH****.....RESPONDENT(s)****INDEX**

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF RESPONDENT NO. 5 & 6 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 23.05.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE LETTER DT. 07.08.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-1	
3.	COPY OF THE LETTER DT. 01.08.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-2	
4.	COPY OF THE LETTER DT. 06.08.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-3	
5.	COPY OF THE H2 CASE DT. 22.03.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-4	

6.	COPIES OF THE INVESTIGATION REPORT, STATEMENTS, SEIZURE MEMO, NOTICES ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-5	
7.	COPY OF THE NAZRI NAKSHA ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-6	
8.	COPY OF THE DETAILS OF THE CASE NO. 15205/2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-7	
9.	COPY OF THE LETTER DT. 07.08.2025 AND INSPECTION REPORT ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-8	
10.	COPY OF THE LETTER DT. 05.08.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-9	
11.	COPY OF THE RANGE CASE NO. 02/KIRAWALI/2025-26, SEIZURE MEMO AND NOTICES ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-10	
12.	COPY OF THE FIR DT. 24.04.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-11	
13.	COPY OF THE CHARGESHEET DT. 10.05.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-12	
14.	COPY OF THE LETTER DT. 07.08.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-13	
15.	COPY OF THE FIR DT. 27.04.2025 & SEIZURE MEMO ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-14	
16.	COPY OF THE CHARGESEHEET DT. 21.05.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-15	

THROUGH COUNSEL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bpsjadon', with a long horizontal stroke extending to the right.

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

Ph: 9639286572

DATE: 28.08.2025

PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI****ORIGINAL APPLICATION NO. 255/2025****IN THE MATTER OF:****JAGAN PRASAD TEHRIYA****.....APPLICANT(s)****VERSUS****STATE OF UTTAR PRADESH****.....RESPONDENT(s)****RESPONSE ON BEHALF RESPONDENT NO. 5 & 6 IN COMPLIANCE
OF THE ORDER DT. 23.05.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL****I. BACKGROUND OF THE MATTER**

1. That in the present matter, the applicant has alleged large-scale illegal felling of green trees within the Agra District, Uttar Pradesh in view of the norms and the orders of the Court.
2. That this Hon'ble Tribunal vide order dt. 23.05.2025 directed as under:
"3. The O.A raises substantial issue relating to the compliance of environmental norms.



4. Let notice be issued to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit at least one week before the next date of hearing. If any respondent directly files the reply without routing it through their advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.”

3. That it is noteworthy to mention here that the Deponent has been duly authorized by the Respondent No. 6 i.e. Divisional Commissioner and Chainman, Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority, Agra to file the present affidavit vide letter dt. 07.08.2025.

A Copy of the letter dt. 07.08.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-1.**

4. That the Deponent vide letter dated 01.08.2025 has directed the Range Forest Officers of Fatehabad, Etmadpur and Kirawali to take necessary action in respect of the incidents reported and to furnish their respective action taken reports.

A Copy of the letter dt. 01.08.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-2.**

5. That with respect to the allegations in the original application the actions taken by the Forest Department are herein as under.



II. INCIDENT 1

i. Allegations:

6. "Incident 1-Fatehabad Tehsil (24 March 2025)

As per Dainik Jagran report, forest officials and the Panchayat at Fatehabad sanctioned the cutting of over 1.5 dozen trees without due process. It is submitted that green trees were uprooted by JCB. The Forest department is busy in whitewashing in the name of action. The Contactor razed one and a half dozen green trees standing on the side of the road. At the same time green trees are being sacrificed in the name of development. Reference: News Report dated 24.03.2025 (Annexure 1)"

ii. Actions taken:

7. That the Range Forest Officer, Fatehabad Range vide letter dt. 06.08.2025 informed that on 22.03.2025, during routine patrolling, Shri Mayaram, Forester, informed that in Salempur Dhankar, trees had been uprooted by a JCB machine during the construction of a kachchi (unmetalled) road on revenue land. That immediately, the officials of the forest department reached the spot along with staff, inspected the uprooted trees, and contacted the local Lekhpal, Shri Brij Mohan, over telephone regarding the construction of the kachchi road on revenue land. That the Lekhpal stated that he had no information about the same.

A Copy of the letter dt. 06.08.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-3.**

8. That further on calling the local villagers and the Gram Pradhan to the spot and inquiring about the uprooted trees, it was informed that the JCB operator, on the instructions of Shri Karamveer Singh, son of Mukesh, resident of Raddi Garhi Kala, Bisera Post Therei, P.S. Tajganj, Block Bamrauli Ahir, Agra, had uprooted the trees.
9. That at the site, **08 indigenous Babool trees** uprooted with roots were measured for girth by Shri Mayaram, Forester, and a **Range Case No. 15/Fatehabad/2024-25** was registered under Sections 4/10 of the U.P. Rural Tree Protection Act, 1976 on 22.03.2025 against the accused persons. That the investigation of the said case was carried out by Shri Rakesh Upadhyay, Forester. During his investigation, it was found that some trees were buried under soil, which after removal of gravel by JCB, led to **10 trees** being uprooted with roots. The girths of the uprooted trees were measured on the spot. That statements of the said accused were recorded and notices have also been issued.

A Copy of the H-2 Case dt. 22.03.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-4.**

Copies of the investigation report, statements, seizure memo, notices have been annexed herewith as **ANNEXURE A-5.**

A Copy of the Nazri Naksha has been annexed herewith as **ANNEXURE A-6.**

10. That the said forest offence has been registered before the Court of Additional Chief Judicial Magistrate-I, Agra as Case No. 15205/2025, DFO vs. Karmveer.

A Copy of the details of the Case No. 15205/2025 has been annexed herewith as ANNEXURE A-7.

III. INCIDENT 2:

i. Allegations:

11. *“Incident 2-Shahdhra Railway Line, Yamunapar (2 April 2025)*

In Shahdra, Yamunapar under the Agra Tehsil, multiple green trees along the railway line were felled through corrupt practices involving police and forest officials. It is germane to mention here that greenery in the forest area in being ruthlessly destroyed. That large number of trees have disappeared here, and the roots are being burnt along with the cut branches to destroy the evidence. An attempt was made to destroy evidence by setting fire to the stems and branches in the area. It is submitted that forest officials had no clue as per the news item published.

Reference: Dainik Jagran dated 21.04.2025 (Annexure 2) ”



ii. Actions taken:

12. That the Range Forest Officer, Etmadpur Range, Agra vide letter dt. 07.08.2025 has informed that with respect to the aforementioned news a site inspection was conducted on 21.04.2025 along with the officials of the Forest Department. The findings of the inspection report are as follows:

- **Evidence allegedly destroyed by fire:** The fire was lit on a portion of private land outside the forest area. However, no evidence was found in the ashes to suggest burning of tree branches or roots.
- **Branches in the drain:** During inspection, it was found that the branches and trees lying in the drain had naturally fallen earlier. One such tree was found partially submerged in water. No evidence of cutting was found.
- **Published photograph near Boundary Pillar No. 30:** That in the published photo, one tree appears cut among two adjoining trees near Pillar No. 30. However, upon reaching the site, no cut tree resembling the photograph was found. The photograph appears to have been misleadingly published as pertaining to Pillar No. 30, whereas no such felled tree was found even after a thorough search in the surrounding area.



- **Joint survey near Pillars 38, 39, 40, 41, 42, 80, 81, 82, 88, 89:** On 18.04.2025, a joint survey was conducted by the Forest Department and the Revenue Department. During this survey, only scattered *Prosopis* bushes were cleared for the purpose of demarcation. No tree was damaged in the process.

A Copy of the letter dt. 07.08.2025 and inspection report has been annexed herewith as **ANNEXURE A-8**.

IV. INCIDENT 3:

i. Allegations:

13. *"Incident 3-Kiraoli Tehsil, Achenra-Kirawali Road (25 April 2025) Illegal felling reported by Hindustan newspaper involved cutting of large green trees by forest personnel and local police. It is germane to mention here that dozen of trees were cut down to build a colony. Preparations are underway to build a new colony on the land as per the news item published in the report. Reference: Hindustan dated 25, April, 2025 (Annexure 3)"*

ii. Actions taken:

14. That the Range Forest Officer, Kirawali Range vide letter dt. 05.08.2025 has informed that on 23.04.2025, near Puramna Dhanda Petrol Pump, at Km 2.5 on Kirawali- Achnera Road, in a private agricultural land bearing Gata No. 15, the offence of uprooting and felling of 5 trees was committed:



- 03 Sheesham trees (girths 120 cm, 85 cm, and 80 cm),
- 01 Neem tree (girth 130 cm),
- 01 Kesia Semia tree (girth 180 cm), and

01 Faras tree (girth 132 cm) uprooted from **protected forest land**

A Copy of the letter dt. 05.08.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-9.**

15. That in consonance of the above, Range Case No. 02/Kirawali/2025-26 dated 24.04.2025 was registered against the accused persons and notices have been issued. That timber found on the site was seized, a recovery memo was prepared, and the timber was kept in the Range Office premises. A Copy of the Range Case No. 02/Kirawali/2025-26, seizure memo and notices have been annexed herewith as **ANNEXURE A-10.**

16. Additionally, FIR No. 0112/2025 dated 24.04.2025 was lodged at Police Station Kirawali. That as per the information received from the concerned Police Station, Charge Sheet No. 88/2025 dated 10.05.2025 has already been submitted before the Hon'ble Additional Chief Judicial Magistrate-IV, Agra Court by the Investigating Officer.

A Copy of the FIR dt. 24.04.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-11.**

A Copy of the Chargesheet dt. 10.05.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-12.**



V. INCIDENT-4:**i. Allegations:**

17. "Incident 4-Krishnapuri, Tehsil Sadar (28 April 2025) Under the jurisdiction of Thana Jagdishpura, anti-social elements linked to land mafias cleared many green trees to pave way for unauthorized colony development. It is pertinent to mention here that trees were found to be cut in the respective area. Reference: Dainik Jagran dated 28.04.2025 (Annexure 4)."

ii. Actions taken:

18. That the Range Forest Officer, Agra City Range, Agra vide letter dt. 07.08.2025 has informed that on the land of the park situated at Krishnapuri Garhi Bhadoria, the stumps of trees — *Arjun* (145 cm girth), *Alstonia* (125 cm girth), *Ashoka* (110 cm girth), and two *Palm* trees (110 cm and 140 cm girth) were found felled during the night of 26.04.2025 to the morning of 27.04.2025.

The timber recovered from the site was seized and secured at Double Phatak Nursery. That in connection with the offence of felling the aforesaid trees, an FIR No. 241 dated 27.04.2025 was lodged at Police Station Jagdishpura against:



- Kedar Nath, son of Ghanshyam Babu, resident of 09/3/2, St. Jana Road, near Akur Dairy, Bagh Muzaffar Khan, P.S. Hariparvat; and
- Mukesh Kumar Yadav,

That a seizure memo was prepared on the spot and Charge-Sheet No. 236/2025 dated 21.05.2025 was submitted before the Hon'ble Court of ACJM-I, Agra.

A Copy of the letter dt. 07.08.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-13.**

A Copy of the FIR dt. 27.04.2025 & seizure memo has been annexed herewith as **ANNEXURE A-14.**

A Copy of the Chargesheet dt. 21.05.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-15.**

VI. FELLING WITHIN TAJ TRAPEZIUM ZONE:

19. That it is germane to mention that the aforesaid felling of trees has taken place within the Taj Trapezium Zone, without obtaining any prior permission from the Hon'ble Supreme Court.

20. That the deponent is duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. The Deponent is fully committed to ensure strict adherence to the orders of this Hon'ble Tribunal and undertakes to faithfully comply with any further



directions or instructions that may be issued by this Hon'ble Tribunal, without demur or delay.

21. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

Ph: 9639286572

DATE: 28.08.2025

PLACE: NOIDA



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 255/2025

IN THE MATTER OF:

JAGAN PRASAD TEHRIYA

.....APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH


.....RESPONDENT(s)

AFFIDAVIT

I, RAJESH KUMAR, aged about 36 years, S/o RANG LAL MEENA,

presently posted as Divisional Forest Officer, Agra, do hereby solemnly affirm and state as under:-

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present affidavit.
2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.




DEPONENT
Divisional Director
Social Forestry Division

VERIFICATION

Verified at AGRA on this 27th day of August, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 2 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.


DEPONENT
Social Forestry Division
AGRA



S. No. 50
Explained to Shri Rajesh Kumar
The Deponent Ag on oath identified
by Shri: 27th 25
On This Day: 9

Ranvir Singh (Advocate)

27/8/2025

Email

कार्यालय टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा।

संख्या : ७५०/TTZ(PMU)/OA_255/25/2025

दिनांक : ०७/०९/2025

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
आगरा।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण
प्रकरण महत्वपूर्ण/समयबद्ध

विषय : मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-255/2025 जगन प्रसाद तेहरिया बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 के क्रम में प्रतिवादी सं0-6 (अध्यक्ष, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण) की ओर से जबाव दाखिल कराये जाने के सम्बन्ध में।

विषयगत ओ0ए0 के अन्तर्गत मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 23.05.2025 को पारित आदेशों का संदर्भ ग्रहण करें, जिसका सुसंगत अंश निम्नवत् उद्धृत है-

"..... 4. Let notice be issued to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit at least one week before the next date of hearing. If any respondent directly files the reply without routing it through their advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.

5. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

6. List on 29.08.2025."

उल्लेखनीय है कि एप्लीकेण्ट द्वारा मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर की गयी उक्त ओ0ए0 के अनुसार जनपद आगरा की तहसील-फतेहाबाद, किरावली व सदर में भिन्न-भिन्न स्थलों पर हुये वृक्षों के अवैध पातन के विरुद्ध शिकायत की गयी है, जिसमें अन्य के साथ-साथ क्रमांक-6 पर अध्यक्ष, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को प्रतिवादी भी बनाया गया है।

अतः प्रकरण की महत्ता एवं समबद्धता को दृष्टिगत रखते हुये मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.05.2025 के अनुपालन में प्रश्नगत ओ0ए0 में प्रतिवादी सं0-6 (अध्यक्ष, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण) की ओर से प्रत्युत्तर/जबाव प्रत्येक दशा में निर्धारित समयावधि के अन्दर दाखिल कराना सुनिश्चित करें ताकि मा0अधिकरण के समक्ष कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो सके। एप्लीकेण्ट श्री जगन प्रसाद तेहरिया द्वारा दाखिल ओ0ए0 एवं मा0अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 की छायाप्रति पत्र के साथ ई-मेल के माध्यम से प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि (ई-मेल के माध्यम से)।

प्रतिलिपि-

वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष

मा० एन०जी०टी०/अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक 672/ 25-3 आगरा, दिनांक, 01/08/2025

सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
फतेहाबाद, शहर, एत्मादपुर
एवं किरावली।

विषय :- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या- 255/2025 जगन प्रसाद तेहरिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 ए० ३५ कार्यालय की पत्र संख्या- 8132/35-3 दिनांक 26.05.2025

उपरोक्त विषयक संदर्भित आदेश एवं पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। अवगत हों कि प्रश्नगत प्रकरण जो आगरा जनपद में विभिन्न स्थलों पर अवैध वृक्ष पातन की घटनाओं/शिकायत से सम्बन्धित है, उक्त के क्रम में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र के द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि आप प्रश्नगत याचिका की प्रति प्राप्त कर संदर्भित आदेश में दिये गये निर्देशों के क्रम में सम्बन्धित घटनाओं/शिकायतों की जाँच कर तथ्यात्मक आख्या एवं उक्त के सम्बन्ध में आपके स्तर से की गयी कृत कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख इत्यादि उप प्रभागीय वनाधिकारी, आगरा एवं फतेहाबाद के माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। किन्तु वर्तमान तक किसी भी प्रकार की कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

चूँकि प्रकरण में जिला वन अधिकारी को प्रतिवादी संख्या 04 के रूप में पक्षकार बनाया गया है तथा प्रकरण में सुनवाई हेतु अग्रिम नियत तिथि 29.08.2025 से एक सप्ताह पूर्व जवाब/प्रत्युत्तर दाखिल किया जाना है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्तानुसार की गयी विधिक कार्यवाही एवं सम्बन्धित समस्त अभिलेख अघोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में विभाग की ओर से पेशी कर रहें सम्बन्धित स्थायी अधिवक्ता श्री भंवर पाल सिंह जादौन के माध्यम से वॉछित जवाब/प्रतिउत्तर का आलेख तैयार कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :- विषयगत ओ०ए०की प्रति
(वाट्सएप के माध्यम से)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
आगरा।

पत्रांक 672/समदिनांकित।

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी आगरा/फतेहाबाद को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
आगरा।

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, फतेहाबाद रेंज

पत्रांक 22 / 35-3

दिनांक : 06/08/25

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक

सा.वा. प्रभाग आगरा

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 255/2025 जगन प्रसाद तेहरिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-आपके कार्यालय पत्रांक 672/35-3 दिनांक 01.08.2025

महोदय,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 22.03.2025 को श्री मायाराम वनविद् द्वारा नियमित गस्त के दौरान अधोहस्ताक्षरी को अगवत कराया कि सलेमपुर धनकर में राजस्व भूमि में कच्ची सड़क का निर्माण में जे०सी०बी० द्वारा वृक्ष उखाड़ दिये हैं। तत्काल कर्मचारियों के साथ अधोहस्ताक्षरी मौके पर पहुँचकर उखड़े वृक्षों का निरीक्षण किया तथा स्थानीय लेखपाल श्री बृज मोहन को दूरभाष पर सम्पर्क कर राजस्व भूमि में कच्ची सड़क के निर्माण में बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। स्थानीय लोगों तथा ग्राम प्रधान को मौके पर बुलाकर कच्ची सड़क निर्माण में उखाड़े वृक्षों के बारे में पूछा तो बताया कि जे०सी०बी० वाले ने श्री करमवीर सिंह पुत्र मुकेश निवासी रददी गढ़ी कला बिसेरा पोस्ट थेरई थाना ताजगंज ब्लॉक बमरौली अहीर आगरा ने वृक्षों को उखाड़ा है। मौके पर जड़ सहित उखाड़े गये 8 देशी बबूल के वृक्षों की गोलाई नपत कर श्री मायारा वनविद् द्वारा उ.प्र. ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत विभागीय एच.2 केस सं. 15/फते./24.025 का जारी किया गया।

उक्त केस की जाँच श्री राकेश उपाध्याय वनविद् द्वारा की गई। उनके जाँच के दौरान पाया कि कुछ पेड़ मिट्टी में दबे हुए हैं जो जे०सी०बी० द्वारा मिट्टी को हटाने के उपरान्त 10 पेड़ जड़ सहित निकाले गये तथा मौके पर ही जड़ सहित उखाड़े गये पेड़ों की गोलाई की नपत की गई।

जाँच अधिकारी की जाँच आख्या के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक 244/35-1 दिनांक 6 जून 2025 के द्वारा केस मा. न्यायालय हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

भागीय

 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 फतेहाबाद रेंज

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, आगरा

सं.

/35-3-3

दिनांक आगरा.....

सेवा में,

परगना मजिस्ट्रेट

परगना अपर मुरबा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम (I)जि० आगरा

द्वारा - रेंज आफीसर फतेहाबाद
 विषय - वन अपराध 15/फतेहा/24-25 की शिकायत
 सन्दर्भ - भारतीय वन अधिनियम (उत्तर प्रदेश संशोधन १९६५)
 की धारा ५, २६, ६१ ए एवं ६३

महोदय,

इस प्रभाग की वन अपराध सं. 0.11/आगरा/2024-25 के निम्नलिखित प्रलेख आपकी सेवा में इस आशय से प्रेषित किये जाते हैं कि सम्बन्धित अभियुक्तों को भारतीय वन अधिनियम को उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत उचित दण्ड दिया जावे।

- (१) शिकायत पत्र 02
- (२) मुक्त एच०टू० के सं. 15/फतेहा/24-25 मय सम्बन्धित रिपोर्ट के
- (३) न्यायालय से अनुपस्थित रहने हेतु आवेदन पत्र
- (४) वकालतनामा 01
- (५) धारा ४/10 के विज्ञप्ति की सत्यप्रति
- (६) नोटिस प्रति 01
- (७) मुपदंगीनामा 01
- (८) फतेहाबाद की - 02
- (९) न्यायिक न्याया - 01
- (१०) न्यायिक आदेश की मूल प्रति

संलग्नक - उपरोक्त

भवदीय-

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
आगरा

(i) 35-3-3 उक्त दिनांक

सं.

प्रतिलिपि रेंज ऑफीसर.....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/उपरोक्त प्रलेखों की आज अपने न्यायिक द्वारा जाँच करवाकर परगना दण्ड अधिकारी से न्यायालय में तुरन्त प्रेषित करें।

भवदीय-

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग

सेवा में,

न्यायिक मजिस्ट्रेट

जनपद आगरा

(शिकायत- पत्र)

(1) प्रथम सूचना दाता का नाम व पद.....

(2) अभियुक्तों का पूरा नाम व पता

- 1 नाम करमवीर सिंह पुत्र मुकेश चित्तारी - रही गढ़ी कला- विसेश
- 2 नाम पुत्र..... पो०- केरई
- 3 नाम पुत्र..... पाना- ताजगंज बरोली अहीश आगरा
- 4 नाम पुत्र.....
- 5 नाम पुत्र.....
- 6 नाम पुत्र.....
- 7 नाम पुत्र.....
- 9 नाम पुत्र.....
- 10 नाम पुत्र.....

(3) अपराध की तिथि एवं स्थान

- 1 तिथि २२ मार्च २०२५
- 2 समय दोपहर- २:३० बजे
- 3 स्थान सलेमपुर हमगर

(4) अपराध का संक्षिप्त विवरण

दिनांक २२/३/२०२५ को सलेमपुर हमगर ग्राम में वाल्चे रास्ते की बाकका रास्ता बनाने में अवरोध वृद्धों को जे.सी.बी द्वारा छड़ से उखाड़ा गया।

(5) साक्षियों का पूरा नाम व पता

- 1 नाम उमाकांत (त.२)
- 2 नाम
- 3 नाम

(6) वन क्षति रूपये (अंकों में) 5700/- (शब्दों में).....

(7) भारतीय वन अधिनियम 27 की धारा 4/10

(8) भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा.....

के अन्तर्गत दण्डित किया जाये।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
शिकायतकर्ता
फतेहाबादरन्ज
सत० दा० प्रभाग, आगरा

न्यायालय में उपस्थिति से मुक्त करने का प्रार्थना-पत्र

न्यायालय.....उपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जज (1).....

थाना.....पिंडीसाद..... जिला.....सागरा.....

भारतीय वन अधिनियम की धारा.....11/10.....

अभियोग उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग व नाम.....

श्रीमान्,

निवेदन है कि प्रार्थी अभियोगी जन सेवक होने के नाते जिले के वादों तथा राजकीय कार्यों में व्यस्त रहता है और इस केस में प्रति दिन सुनवाई पर उपस्थित होने में प्रार्थी असमर्थ रहेगा। इसलिये प्रार्थी की ओर से श्री देवी उसाद मंडेय.....एडवोकेट पैनल लाइयर (न्यायिक अभिभावक) पेश करेगा।

अतः प्रार्थना है कि इस अभियोग में सुनवाई के दौरान प्रार्थी को व्यक्तिगत उपस्थित से मुक्त रखने की कृपा की जावे।

प्रार्थी :-

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग

बकालतनामा

अदालत... 3742 मुरवप... 2111 व. म. लि. रेटे. पथम (I)

मु० नं० वन विभाग सन् 200 / 0 वादी
बनाम... कारवाकीर-सिंह

प्रतिवादी

मैं प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा

जो कि हम को पैरवी करना इस मुकदमे में आवश्यकता है इसलिए अपनी ओर से श्री देवी प्रसाद पांडेय एडवोकेट पैनल लाइयर अदालती कानून को तैयाफता गहनताने पर अपना वकील नियत करके प्रतिज्ञा करते हैं कि वकील जो इस मुकदमे में हमारी ओर से रायत दाखिल करें

और प्रश्नोत्तर करें और प्रार्थना पत्र प्रत्येक प्रकार का और अन्य कागजात इस मुकदमे के सम्बन्ध में सवाल पंचायत दाखिल व तरादीक कर या वाजदावा या सुलहनामा या दस्तवदारी दाखिल करे और रूपया वाफतनी हमारा यावत जर नगद व वापसी स्टाम्प कोर्ट फीस व तलवानी यगैरह वसूल करके रसीद दें या अपनी जानिव से किसी को पंच मुकर्रिर करें और कुल काग मुकदमे का एकत्रित या अलग-अलग मुकदमे में अन्त तक करें या आवश्यकता पर किसी को इस मुकदमे की पैरवी के वास्ते वकील नियत करें या अपील दायर करें ख्वाह अपील में मेरी तरफ से जबाव देही करें तथा कागजात सबूत दाखिल करें और किये हुए कागजात वापिस लें तथा यह सब वकील का कार्य स्वयं अपने किये हुए की तरह स्वीकार है और होगा एवं कलाय साहिवान को इख्तयार होगा कि अगर महनताना तैयाफता हस्व वायदय उनको वसूल न हो तो वह पैरवी बहरा न करें इसलिए वकालतनाम लिख दिया कि सनद होवे और आवश्यकता के समय काम आवे।

फख्त तहरीर तारीख

सन् 200

तारीख दाखिल

सन् 200

वकालतनामा स्वीकार है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा

(श्री..... एडवोकेट)
पैनल लाइयर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

गवाह

गवाह

नाम फरोकैन इख्तदाई

नन्धर मुकदमा इख्तदाई

नाम अदालत इख्तदाई

सोदय

प्रसन्नता केर का लीच हेतु दिनांक 23/3/2025 को श्री माधाराज बनविद के साथ शकेलपर
 धनकर बना निरीक्षण त- जातेहाबाद आगरा पड़चक ओके के लीच की गई। लीच के प्रारंभिक
 गण अं. 261 में कच्चे शस्ते को पक्की मडक का निर्माण कार्य हो रहा है। निर्माण कार्य में आगे
 ब्रह्म को जे. सी. वी द्वारा उखाड़ दिया गया है। निर्माण आठ बबून पेड़ पर सहित उखाड़े पड़े हैं।
 मोंके पर निरीक्षण करने पर आश्चर्य हुआ कि कुदा पेड़ गिहरी में दबे हुए हैं जो जे. सी. वी.
 द्वारा गिहरी को हटाने के उपरांत 10 पेड़ पर सहित निकले। निर्माण गोलई का अं. 2 पेड़ बाह्य
 30 व 35 cm. नीलू 25 cm. बबून 32, 35, 20 cm (पुलीफलोरा) 05, 30, 28, 30 cm हैं।
 निर्माण मोंके पर फर्ष बरपादगी बनाई गई तथा बरपाद की गई उपरोक्त लकड़ी को मोंके पर
 श्री न्याय श्रुतियों में लाने को तैयार नहीं हुआ। लकड़ी की सुरक्षा की शर्त में
 उपरोक्त लकड़ी को श्री माधाराज बनविद की आश्रमा में रखा जाएगा।

शकेल
 शकेल उपहाय (बनविद)
 लीच अधिकारी जातेहाबाद आगरा
 दि. 23/03/2025

उक्त केस में अपने बचाल पत्र में आग्रह प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 11/04/25 को भारतीय डाक द्वारा
 नोटिस देकर आश्रित को दिनांक 11/04/25 को सुबह 10 बजे रेंज कार्यालय पर बुलाया गया आश्रित
 कार्गीर सिंह पुत्र मुकेश नि. 222 गरी कला विवेरा पी. हेरई बना तापगंज आगरा कार्यालय में
 उपस्थित होकर अपने बचान में लिखा की निर्माण पंचायत द्वारा मडक का निर्माण किया जा रहा
 निर्माण खेत की गेड पर हरे बबून के पेड़ गीव वाली के कंधे पर जे. सी. वी द्वारा लकड़ी सहित उखाड़े
 दिने जलानि आश्रित द्वारा बचान के साथ रेशा की रेशा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 निर्माण पर धेद होगा कि उनके द्वारा ब्रह्म को लड सहित नहीं उखाड़ा गया।

लीच अधिकारी जातेहाबाद
 आगरा
 दिनांक 11/04/2025

लीच निष्कर्ष

अब तक की तयारी विवेचनात्मक कार्यवाही बचान वाली, निरीक्षण घटना स्थल व अन्य लकड़ी द्वारा निर्माण
 मोंके क बचान के आधा पर आश्रित कार्गीर सिंह पुत्र मुकेश नि. 222 गरी कला विवेरा पी.
 हेरई बना तापगंज आगरा। जे. सी. कच्चे शस्ते को पक्की शस्ते के निर्माण में आगे
 जे. सी. वी द्वारा उखाड़ा गया है। जो T.T.Z जोन के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय
 निर्माण के बिना अनुमति के किया पेड़ के काटना व उखाड़ना बन उपरोक्त है। आश्रित द्वारा
 T.T.Z के अंतर्गत हरे ब्रह्म को काटना या उखाड़ना उ. 50 अंशों वृक्ष उपरोक्त

फर्द सुपुर्दगी

मै कि विलेन्द्र सिंह पुत्र शान सिंह निवासी क्षेत्रपुर
 धनकर ... पोस्ट फतेहाबाद थाना निलोहरा तहसील फतेहाबाद
 जिला शुआरा का रहने वाला हूँ

२- मै कि विलेन्द्र सिंह द्वारा इकरार करता हूँ कि श्री वेमारी सिंह पद वर श्रमक
 द्वारा दिनांक २२ मार्च २०२५ समय वे. २.३० जेभा० व० अ० की धारा ५२/उ० प्र० ग्रा० व० स०
 अधिनियम की धारा १४ के अधीन बरामद/अभिग्रहीत निम्न वन उपज/ वन अपराध में प्रयुक्त
 सामग्री की सुपुर्दगी में लेने का प्रार्थी हूँ।

३- मै कि विलेन्द्र सिंह द्वारा इकरार करता हूँ कि निम्न अभिग्रहीत वन उपज सम्पत्ति की वन
 विभाग के प्रतिनिधि द्वारा माँगने पर बिना किसी हीत हुज्जरा के बापस करूंगा। और सुपुर्दगी अवधि
 में इनकी पूर्ण देखभाल निःशुल्क/बिना किसी हर्जा खर्चा दावे के करूंगा।

सुपुर्दगी में लेने वाले अभिग्रहीत सामान का विवरण -

क्र.सं.	विवरण	गैलरी
१.	वेमारी	२०० CM
२.	"	१५० CM
३.	"	९० CM
४.	"	१५० CM
५.	"	१५० CM
६.	"	८० CM
७.	"	१०० CM
८.	"	८० CM

विलेन्द्र सिंह

सुपुर्दगी प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
 सुपुर्दगी प्राप्तकर्ता का नाम विलेन्द्र सिंह
 पुत्र शान सिंह
 निवासी क्षेत्रपुर धनकर
 तहसील फतेहाबाद
 थाना निलोहरा
 जिला शुआरा

गवाह -१ हस्ताक्षर ...
 नाम जगदीश सिंह
 पुत्र शान सिंह
 निवासी क्षेत्रपुर धनकर
 पोस्ट
 थाना निलोहरा
 तहसील फतेहाबाद
 जिला शुआरा

गवाह -१ हस्ताक्षर
 नाम
 पुत्र
 निवासी
 पोस्ट
 थाना
 तहसील
 जिला

दिनांक २२ मार्च २०२५ को उपरोक्त बरामद/अभिग्रहीत चवन उपज को बिना किसी हर्जे खर्चे के
 शर्त पर आज दिनांक २२ मार्च २०२५ उपरोक्त सुपुर्दगी प्राप्त कर्ता श्री
 की सुपुर्दगी में दिया गया।

...
 सुपुर्द करने वाले अधिकारी
 नाम व पद शाशाशंग, वन विद्व
निलोहरा क्षेत्र शुआरा

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, फतेहाबाद

पत्रांक

दिनांक... 07/04/2025

नोटिस

श्री. जमशेद सिंह पुत्र श्री. सुकेश निवासी बुधपुरा गाँव
पंचायत को नोटिस से तामील किया जाता है। कि आपके विरुद्ध फतेहाबाद रेंज में वन अपराध संख्या 15/2025/24
 भारतीय वन अधिनियम 1976 की धारा 26(ज) (आरक्षित वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण) के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। आप दिनांक 07/04/2025 को रेंज कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी फतेहाबाद बादशाही बाग तहसील परिसर फतेहाबाद में प्रातः 10:00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष जाँच अधिकारी के समक्ष रखें। उपस्थित न होने की दशा में वाद माननीय न्यायालय में वाद दायर करने की कार्यवाही की जायेगी।

INDIA
 IN PATENTED (2021)
 Center No. 01-04-005-14134
 INDIA
 INDIA
 INDIA
 INDIA
 INDIA




जाँच अधिकारी वन अपराध
 फतेहाबाद रेंज - आगरा

मे अविनाश सिंह & मुन्देश सिंह काम गबि रघुपु पोस्ट डेस्ट तना तापगोल
 का रचना वाक ही का विनाश अर्थात् अविनाश मेरा अविनाश अविनाश का अविनाश
 जो इस भाग हुआ जिसके अर्थ में का विनाश अर्थात् विनाश 7/10/2017 का
 उपस्थित होकर अर्थात् पूरे द्वारा उल्लास तथा विनाश अर्थात् अविनाश मे
 का गौरी बरिष्ठ अर्थात् मे विनाश अर्थात् मेरा अविनाश अर्थात् अविनाश का
 विनाश अर्थात् मे अविनाश अर्थात् मेरा अविनाश अर्थात् अविनाश का अविनाश
 मे अविनाश अर्थात् अविनाश अर्थात् अविनाश अर्थात् अविनाश का अविनाश
 अर्थात् अविनाश अर्थात् अविनाश अर्थात् अविनाश अर्थात् अविनाश का अविनाश
 अर्थात् अविनाश अर्थात् अविनाश अर्थात् अविनाश अर्थात् अविनाश का अविनाश
 अर्थात् अविनाश अर्थात् अविनाश अर्थात् अविनाश अर्थात् अविनाश का अविनाश
 अर्थात् अविनाश अर्थात् अविनाश अर्थात् अविनाश अर्थात् अविनाश का अविनाश

अविनाश सिंह

अविनाश सिंह & मुन्देश सिंह
 गौरी बरिष्ठ पोस्ट डेस्ट
 तना - तापगोल
 639507 117

नदीप्रवा नक्शा, ई-6 केस अख्या 15/फै-24-25



नदीप्रवा नक्शा क्षेत्र
 बनाया गया है।
 25/3/25
 (25/3/25)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
 फतेहाबादरेन्ज
 सत0 या0 प्रभाग, आगरा

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, एत्मादपुर रेंज, आगरा

पत्रांक - 32 /35-3 दिनांक - 07/08/2025
07/08/2025

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा

विषय - मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-255/2025
जगन प्रसाद तेहरिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के संबंध में।
सन्दर्भ - आपके पत्रांक-672/35-3 दिनांक 01/08/2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है तत्समय दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर "शाहदरा में रेलवे लाइन के किनारे चली आरी" का दिनांक 21/04/2025 को स्थलीय निरीक्षण रेंज टीम के साथ किया गया था। बिन्दुवार जांच आख्या निम्न प्रकार है।

आग लगाकर मिटाए गए साक्ष्य - आग वन क्षेत्र से बाहर निजी भूमि के एक हिस्से पर लगायी गयी थी, परन्तु राख में पेड़ की टहनियां व जड़ को जलाया गया है ऐसे कोई साक्ष्य नहीं पाए गये।

नाले में बहाए पेड़ों की टहनियां - जांच में नाले में प्राकृतिक रूप से गिरी हुई पुरानी टहनियां या पेड़ जो आधा पानी में गिरा हुआ अटका पड़ा हुआ था।

प्रकाशित फोटो में सीमा स्तंभ 30 के पास 2 जुड़े हुए पेड़ों में से एक कटा हुआ पेड़ दिख रहा है - सीमास्तंभ 30 के पास पहुंचने पर फोटो जैसा कोई भी कटा हुआ पेड़ नहीं मिला। भ्रामक फोटो कहीं और की है। फोटो को सीमा स्तंभ 30 के पास का गलत प्रकाशित किया गया है एवं आस पास भी सघन जांच में इस तरह का कोई कटा हुआ पेड़ नहीं मिला।

इन पिलर के आस पास कटे गये पेड़ (38,39,40,41,42,80,81,82,88,89) - दिनांक- 18/04/2025 को वन विभाग एवं राजस्व का संयुक्त सर्वे कार्य किया गया था जिसमें सर्वे हेतु प्रोसोपिस की छिटपुट झाड़ियों को हटा कर चिन्हांकन कार्य किया गया था। इसमें किसी पेड़ को कोई हानि नहीं पहुंचाई गयी थी।



अतः सूचना श्रीमानजी की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
सादर प्रेषित है ।
संलग्नक - निरीक्षण/जाँच के फोटो।

भवदीया

क्षेत्रीय वन अधिकारी
एत्मादपुर रेंज

सेवा में

श्री प्रिय वन विभागी
रत्नापुर रेंज आगरा

विषय: अवैध कटान के सम्बन्ध में।

महोदय,
उक्त विषय में निवेदन सहित अवगत कराना है कि शाहपुरा क्षेत्र काटा गोशाला के सामने अवैध कटान की दिनांक 20/09/25 को पार्सी को प्राप्त हुई थी व समाचार पत्र में श्री हरिपाली पर भारी चलने की खबर प्रकाशित हुई थी इस क्लम में उसी दिन प्रो. पर अपने द्वारा रंजीत कुमार व नरहण्य के साथ भारत व जॉन्स की गई जॉन्स में जाया आरक्षित वन क्षति सीमा से लगे निजी खसरा सं. 283, व 285 में से प्रो. पिस ज्यूलिफ्लोरा (विलायती व बूट) की शाईडों को साफ किया गया था जिनकी गैलई लगभग 0-25 cm (Diameter class (0-1) पार्सी गरी जिसके सम्बन्ध में मैंने द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु धाना ट्रान्स यमुना में प्राथमिकी पत्र दिया गया था प्रै द्वारा श्री शाईडों को साफ करने वाले लोगों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया था जानकारी में कोई नाम स्पष्ट नहीं हुआ शाईडों का कटान स्थानीय लोगों द्वारा निजी उपयोग के लिए किया गया था निजी खसरे की जमीन पर अवैध जलाने जलाने के अवशेष प्राप्त हुए जानकारी प्राप्त करने पर पता चला गया था मैंने पर मुझे वाले लोगों द्वारा कुछ कटाई जलाया गया है जवाब में जलड़ी नहीं जलायी गयी है

अतः सूचना आपकी सेवा में उपरि है

पार्सी
श्रीकृष्ण
विभागी
व.र.

Sep 01, 2022 10:00

कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी किरावली रेंज, अमरा

पत्रांक 35 / 35-1

दिनांक 05, अगस्त 2025

सेवामें,

प्रभागीय निदेशक
सा. वा. प्रभाग, अमरा

विषय:- मा० रावश्रीय हरित आधिकरण नई दिल्ली में जोजित ओ. ए. सं. 255/2025
जगत प्रसाद नेहरिया बनाम ड० प्र० राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 672/35-3 दिनांक 01/08/2025

महोदय, निवेदन है कि किरावली रेंज अर्जगत मा० रावश्रीय हरित आधिकरण नई दिल्ली में जोजित ओ. ए. संख्या 255/2025 जगत प्रसाद नेहरिया बनाम ड० प्र० राज्य व अन्य के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 23/1/2025 को किरावली-अदरग मार्ग Km 2.50 चामी परती ग्राम पुरामना-पन्ना पैरोल पम्प के पास सिजी रबेन के गाय संख्या 15 में तीन पेड़ शीशम गोलार्ध प्रकार 120, 85, 80 सेमी, एक पेड़ नीम गोलार्ध 130 से.मी. एक पेड़ के खिया खेमिया गोलार्ध 180 से.मी. तथा उसके अनिश्चित एक पेड़ फरस गोलार्ध 132 से.मी. संरक्षित वन भूमि से उखाड़ने व काटने का अपराध किया गया है। इस वन अपराध के लिये रेंज केस संख्या 02/किरावली/2025-26 दिनांक 24/04/2025 को ① नेजपाल शं०-पम्बरनलाल मि० 628/1 एन.आर. गौतम बुद्ध पाण्डित स्कूल भावास विकास कालोनी बोदला अमरा ② हरिहर शं० वनेराम ③ पप्पू शं० काव्हीपरन ④ प्रकाश शं० पूरन सिवासीगण पुरामना किरावली अमरा के विरुद्ध अज्ञात किया गया है। मौके पर मिले प्रकाश को जगत कूर फड परामदणी बनाकर उक्त प्रकाश रेंज कार्यालय परिसर रखा गया है। तथा थाना किरावली में एफ.आर.आर. संख्या 0112/2025 दि० 24/4/2025 को दर्ज कराई गयी है। इस कार्यालय के पत्रांक 33/35-1 दिनांक 01/08/2025 को थाना किरावली में F.I.R. संख्या 0112/2025 भी अवगत किया है। ये पत्र लिखा गया है कि इसके क्रम में उक्त वाद आरोप पत्र संख्या 88/2025 दिनांक 10/05/2025 को मा०-पायालय डेपुटी की गयी है।

महोदय उक्त केस में दर्ज अपराधों को जांच अधिकारी द्वारा अपना पचाव पस रखने हेतु दिनांक 22/05/2025 को वजरिये नोटिस देकर दिनांक 27/05/2025 को रेंज कार्यालय किरावली पर बुलाया गया परन्तु कोई भी व्यक्ति रेंज कार्यालय किरावली पर हयाजिरी नहीं दूके है।

अतः मा० आख्या सेवामें वादर डेपुटी है।

- संलग्नक:- 1. H-2 केस की छाया प्रतियाँ
- 2. फड परामद की छाया प्रतियाँ
- 3. F.I.R की छाया प्रतियाँ
- 4. नोटिस की छाया प्रतियाँ

अवधीप

(ए. सी. टपाव्याय)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
किरावली रेंज, अमरा

TC/CC
No. Aq. 28/25

राजिबांद सं० 07/04/2025-26

प्रमाणीय वाद सं० 203

10111

वन विभाग ज० प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, खुण्ड (डिवीजन)..... 31/1/21

1. उपर गांधी वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1927 की धारा 4 व 10

2. भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं०

दिनांक 24/04/2025 अधिकृत राजि. किरावली

1- नाम, पिता का नाम और निवास - स्थान

2- साक्षी का नाम श्री भीष्म सिंह

3- कथित - अपराध का पूरा विवरण और दिनांक

कार्य- 4/10 - 20000 - 00
4- मूल्य 31670 m²

कार्य- 33 मूल्य - 4000 - 00
5- चालान और अनुसंधान (इन्वैस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन

- ① नेत्रपाल S/O चम्पन लाल निवासी 62B/1 एन. धर गौतम बुद्ध पहिल्क स्कूल, आवास विकास कॉलोनी कोदर
- ② हरिसिंह S/O बालेशम नि. पुरामना पाना
- ③ मधु S/O लान्चारी राम किरावली, आगरा
- ④ प्रकाश S/O पूरन

ग्राम पुरामना में निजी खेत से 5 पेड़ काटना शीशम 120cm, शीशम 85cm, शीशम 80cm, केशिया श्यामिमा गोलारि - 180cm, नीम गोलारि 132cm एषम 3 पेड़ वन विभाग की निजी भूमि (संरक्षित भूमि) से फरस का गोलारि 132cm का उखाडना।

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यारे और प्रमाण आदि का उल्लेख महापय आज दिनांक 23/04/2025 को समग्र लमग्र सुबह 10:00 बजे हमराह श्री भीष्म सिंह वनरक्षक के साथ अफनेरा

प्रथम प्रोब्रि श्री 51 कोडर सिट रमशा मार्ग पर गस्त करते हुये जा रहे थे तब मुखविर वरा वन संरक्षण अधिनियम 1927 के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1927 की धारा 4 व 10 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के अन्तर्गत अपराध किया गया। प्रमाण के साथ प्रमाणित किया गया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी 30cm, व 1 पेड़ केशिया श्यामिमा गोलारि 180cm है तथा किरावली रेंज आगरा 1 पेड़ फरस जिसकी गोलारि 132cm है वन विभाग की संरक्षित भूमि से उखाडा गया है। महापय उक्त कटे हुये पेड़ों के सम्बन्ध में मुखविर ने बताया कि महा पर नई कोलोनी का निर्माण किया जा रहा है। खेत मालिक हरिसिंह पुत्र बालेशम निवासी पुरामना एषम मधु पुत्र लान्चारी राम निवासी पुरामना ने कलेना नेत्रपाल सिंह पुत्र चम्पन लाल के कहने पर लकड़ी काटने वाले रमारा पुत्र पूरन से कहवाये है हमने कहे पेड़ों के कोटों की वरामपगी कर अपनी सुपुर्गी में लकट फर्द बनायी जो संग्रहक है। लकड़ी को रेंज नामनिष्प किरावली में सुरक्षित रखवा पिया गया है। उपरोक्त व्यक्तियों ने गांधी वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1927 की धारा 4 व 10 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के अन्तर्गत अपराध किया है। महापय उक्त क्षेत्र T-2 क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसमें मा. सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली को अनुमति के बिना वृक्षों का पातन करना प्रतिषिद्ध है। अतः रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

घरघ बरामदगी

दिनांक 23/01/2025 को तमाम गुण्डे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

बरामद की गई सम्पत्ति का ब्यौरा

क्रमांक	पुष्पाति	लंब	चौड़ाई	पुष्पाति	पुष्पाति	लंब	चौड़ाई
1	श्रीराम	170cm	60cm	13	केसिया	220	122
2	श्रीराम	125cm	73cm	14	केसिया	182	134
3	श्रीराम	160cm	46cm	15	केसिया	132	78
4	श्रीराम	212cm	113cm	16	केसिया	125	79
5	श्रीराम	148cm	67cm	17	केसिया	105	45
6	श्रीराम	162cm	90cm	18	नीम	240	130
7	श्रीराम	147cm	53cm	19	नीम	145	52
8	श्रीराम	130cm	88cm	20	नीम	140	68
9	श्रीराम	202cm	61cm	21	नीम	101	78
10	फरास	108cm	133cm	22	नीम	152	42
11	फरास	184cm	119cm	23	नीम	20	56
12	फरास	112cm	104				

प्रकट (हस्ताक्षर, नाम, बन्दिबन्त, पूरा पता)
यदि सरकारी कर्मचारी हो तो हस्ताक्षर नाम व पद तारीख सहित

बरामद करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर नाम, पद

1. पुनर्निपात विभाग अधिकारी Punjab
2. श्रीराम सिंह Beant

Beant
वामोपर सिंह फाकि

दिनांक 23/01/2025

कार्यालय रेंज फोरेस्ट ऑफीसर



नोटिस

दिनांक 22-5-20-5

सेवा में

नाम श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री राजेश्वर

निवासी 628/1 एन० अफ० गौतम बुद्ध पोस्ट तोरक

थाना आर० टी० शां० प० जिला अ० प्र०

सदर में-- रेंज केस सं०- 02/वि०/ 2025-26

स्थानीय वन कर्मचारी द्वारा आपके विरुद्ध सूचना दी है कि आपके द्वारा दिनांक 23-11-2025 को समय 10:00 बजे वन क्षेत्र/ग्राम में अनाधिकृत रूप से वन अपराध किया गया है।

अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 27-5-20-5 को प्रातः 10:00 बजे रेंज कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय पर उपरिथत होकर अपने बचाव में प्रमाण अथवा बयान प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सम्भव तिथि पर उपरिथत नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको यह अपराध स्वीकार है और अपने बचाव में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम/ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र मृदा संरक्षण अधि/आरामिल एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

दाया
क्षेत्रीय वनाधिकारी
किरावली रेंज

कार्यालय रेंज फोरेस्ट ऑफीसर



नोटिस

दिनांक 22-5-2025

सेवा में

नाम श्री हरशिव पुत्र श्री लाले राम

निवासी पुराना पोस्ट किरावली

थाना किरावली जिला डोण

सदर:- रेंज केस सं०- 02/130/2025-26

स्थानीय वन कर्मचारी द्वारा आपके विरुद्ध सूचना दी है कि आपके द्वारा दिनांक 23-4-2025 को समय 11:00 बजे वन क्षेत्र/ग्राम पुराना में अनाधिकृत रूप से 1.000, 7500, 8000 वन अपराध किया गया है।

अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 27-5-2025 को प्रातः 10:00 बजे रेंज कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय किरावली पर उपस्थित होकर अपने बचाव में प्रमाण अथवा बयान प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सम्भव तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको यह अपराध स्वीकार है और अपने बचाव में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम/ग्राणीण एवं पर्वतीय क्षेत्र मृदा संरक्षण अधि/आरामिल एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
किरावली रेंज

कार्यालय रेंज फोरेस्ट ऑफीसर



नोटिस

दिनांक 27-5-2025

सेवा में

नाम श्री पुत्र श्री

निवासी पोस्ट

थाना जिला

सदर:- रेंज केस सं०-.....

स्थानीय वन कर्मचारी द्वारा आपके विरुद्ध सूचना दी है कि आपके द्वारा दिनांक 23-4-2025 को समय वन क्षेत्र/ग्राम में अनाधिकृत रूप से वन अपराध किया गया है।

अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 27-5-2025

को प्रातः 10:00 बजे रेंज कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय पर उपस्थित होकर अपने बचाव में प्रमाण अथवा बयान प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सम्भव तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको यह अपराध स्वीकार है और अपने बचाव में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम/ग्राणीण एवं पर्वतीय क्षेत्र मृदा संरक्षण अधि/आरामिल एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
किरावली रेंज

कार्यालय रेंज फोरेस्ट ऑफीसर



नोटिस

दिनांक 27-5-2025

संवा में

नाम श्री पुत्र श्री पूरन


निवासी पराभवा पोस्ट किरावली

थाना किरावली जिला आगरा

सदम- रेंज केस सं०- 02/किरावली/2025-26

स्थानीय वन कर्मचारी द्वारा आपके विरुद्ध सूचना दी है कि आपके द्वारा दिनांक 23-11-2025 को समय दुपहर 10 बजे वन क्षेत्र/ग्राम पुत्र श्री पूरन में अनाधिकृत रूप से 120cm, 85cm, 80cm वन अपराध किया गया है। अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 27-5-2025

को प्रातः 10:00 बजे रेंज कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय किरावली पर उपस्थित होकर अपने बचाव में प्रमाण अथवा बयान प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सम्भव तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको यह अपराध स्वीकार है और अपने बचाव में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं और आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम/ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र मृदा संरक्षण अधि/आरामिल एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
किरावली रेंज

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): P.S. (थाना): किरावली Year (वर्ष): 2025
पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा)

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0112 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 24/04/2025 17:21 घंटे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय वन अधिनियम, 1927	33
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10
3	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): बुधवार Date from (दिनांक से): 23/04/2025 Date To (दिनांक तक): 23/04/2025

Time Period (समय अवधि): पहर 4 Time From (समय से): 10:00 बजे Time To (समय तक): 10:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 24/04/2025 Time (समय): 17:21 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 049

Date and Time
(दिनांक और
समय):
24/04/2025
17:21 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 4 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): किरावली अछनेरा मार्ग km 25, ग्राम पुरामना चन्द्रा पेट्रोल , के पास वायी पटरी पर खेत गाटा ,सं0 15

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): पुनीतपाल बघेल

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1985 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
---------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	बीट अछनेरा रेंज किरावली, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	बीट अछनेरा रेंज किरावली, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-84330XXXXX

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	हरि सिंह		पिता का नाम : बालेराम	1. पुरामना,किरावली,पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा),उत्तर प्रदेश,भारत
2	पप्पू		पिता का नाम : लाचारी राम	1. पुरामना,किरावली,पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा),उत्तर प्रदेश,भारत
3	नेत्रपाल		पिता का नाम : चक्खन लाल	1. 628/1,एन0आर0 गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल,आवास विकास कोलोनी बोदला,जगदीशपुरा,नगर (कमिश्नरेट आगरा),उत्तर प्रदेश,भारत
4	प्रकाश		पिता का नाम : पूरन	1. पुरामना,किरावली,पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा),उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, थानाध्यक्ष महोदय थाना किरावली आगरा विषय:- FIR दर्ज कराने हेतु महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 23/04/2025 को समय लगभग सुबह 10.00 बजे हमराह श्री भीकम सिंह वन रक्षक के साथ अछनेरा रायभा मार्ग पर गस्त करते हुये जा रहे थे तब मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी की किरावली अछनेरा मार्ग KM2.5 ग्राम पुरामना चन्द्रा पेट्रोल के पास बायी पटरी पर खेत गाटा संख्या 15 में पेड उखाडे व काटे गये है जिसमे 3 पेड शीशीम गोलाई क्रमशः 120 CM, 85CM, 80CM व 1 पेड नीम गोलाई 130 CM व 1 पेड केशिया श्यामिया गोलाई 180CM है तथा 1 पेड फरास जिसकी गोलाई 132 CM वन विभाग की संरक्षित भूमि से उखाडा गया है। महोदय उक्त कटे हुये पेडो के सम्बन्ध में मुखविर ने बताया कि यहा पर नई कलोनी का निर्माण किया जा रहा है खेत मालिक हरि सिंह पुत्र बालेराम निवासी पुरामना एवम पप्पू पुत्र लाचारी राम निवासी पुरामना ने कलोनाइजर नेत्रपाल सिंह पुत्र चक्खन लाल निवासी 628/1 एन0आर गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल आवास विकास कलोनी बोदला आगरा के कहने पर लकडी काटने वाले प्रकाश पुत्र पूरन निवासी पुरामना से कटवाये है। हमने कटे पेडो के बोटो की बरामद कर अपनी सुपर्दगी में लेकर फर्द बनायी जो संलग्नक है। लकडी को रेंज कार्यालय किरावली में सुरक्षित रखवा दिया गया है। उपरोक्त व्यक्तियों ने ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के अन्तर्गत अपराध किया है महोदय उक्त क्षेत्र T.T.2 क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसमे मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के अनुमति के बिना वृक्षों का पातन करना प्रतिबन्धित है महोदय प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा करें। प्रार्थी sd अंग्रेजी Punit पुनीत पाल बघेल वन संरक्षक बीट अछनेरा रेंज किरावली संलग्नक फर्द बरामदगी दिनांक -23/04/2025 मो0-84330XXXXX नोट-में है0का0 649 मुकेश कुमार प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल कम्प्यूटर पर मेरे द्वारा शब्द व शब्द अंकित की गई है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1)

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का Rank (पद): उपनिरीक्षक/
नाम): AMIT KUMAR अवर निरीक्षक

No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge,
Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): PS KIRAWALI
COMMISSIONERATE AGRA

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 7839870599

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1990		-		चेचक: नहीं
2	पुरुष	1995		-		चेचक: नहीं
3	पुरुष	1985		-		चेचक: नहीं
4	पुरुष	1995		-		चेचक: नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/ Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoder ma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

FINAL FORM/ REPORT
अंतिम फार्म/रिपोर्ट
(Under Section 173 Cr.P.C.)
(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 173 के अन्तर्गत)
IN THE COURT OF : एसीजेएम चतुर्थ महोदय (के
न्यायालय में)

1. **District (जिला):** पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा)

P.S. (थाना): किरावली

Year(वर्ष): 2025

FIR No.(प्र.सू.रि.सं.): 0112

Date(दिनांक): 24/04/2025

2. **Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.):** 01

3. **Date(दिनांक):** 10/05/2025

4. S.No.	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 4	
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 10	
3	भारतीय वन अधिनियम, 1927	33

5. **Type of Final Form/Report** आरोप पत्र
(अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):

6. **If FR Unoccurred**
(यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):

7. **If Charge sheet** मूल
(यदि आरोप पत्र दाखिल किया):

8. Name of I.O. at the time of charge sheet AMIT Kumar
(आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम):

Rank (पद): SI (Sub-Inspector) **No. (सं.):**

9. (a) (क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले का नाम):
पुनीतपाल बघेल

(b)(ख) Father's/Husband's Name (पिता/पति का

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:

(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S. No	Property Description	Estimated Value (in Rs.)	Police Station Property Register No.	From whom/ where recovered or seized	Disposal

11. Particulars of accused persons charge-sheeted(आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

S. No.(क्र.सं.): 1

(i) Name हरि सिंह

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): बालेराम

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1990

- (iv) **Sex(लिंग):** पुरुष
 (v) **Nationality(राष्ट्रियता):** भारत
 (vi) **Passport No.(पासपोर्ट संख्या):**
Date of Issue(जारी करने की तिथि):
Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) **Religion (धर्म):**

(viii) **Whether SC/ST/OBC**
 (अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) **Occupation(व्यवसाय):**

(x) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	पुरामना, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	पुरामना, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) **Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):**

(xiii) **Date of release on bail**
 (जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) **Date on which forwarded to court**
 (न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) **Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):**

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

3	भारतीय वन अधिनियम, 1927	33
---	-------------------------	----

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
--------------------	----------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित,पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): पुलिस द्वारा जमानत

(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 2

(i) Name पप्पू

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): लाचारी राम

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1995

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	पुरामना, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	पुरामना, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10
3	भारतीय वन अधिनियम, 1927	33

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references
(मामले के संदर्भ सहित,पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): पुलिस द्वारा जमानत

(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य) :

S. No.(क्र.सं.): 3

(i) Name प्रकाश

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): पूरन

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1995

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	पुरामना, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	पुरामना, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest (गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections (अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10
3	भारतीय वन अधिनियम, 1927	33

(xvi) Details of bailers / sureties (जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
--------------------	---------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): पुलिस द्वारा जमानत

(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य) :

12.Particulars of accused persons - not charge sheeted(suspect)

(आरोप पत्र दाखिल न किए गए(संदिग्ध)अभियुक्तों का विवरण):

S. No.(क्र.सं.): 1

(i) Name नेत्रपाल
(नाम):

Whether verified(क्या हाँ
सत्यापित है?):

(ii) Father 's Name (पिता का चकखन लाल

(iii) Date/Year of birth(जन्मतिथि/वर्ष): 1985

(iv) **Sex (लिंग):** पुरुष

(v) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(vi) **Passport No.(पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) **Religion (धर्म):**

(viii) **Whether SC/ST/OBC (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग):**

(ix) **Occupation**

(x) **Address(पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	628/1, एन0आर0 गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल, आवास विकास कोलोनी बोदला, जगदीशपुरा, नगर (कमिश्नरेट
2	स्थायी पता	628/1, एन0आर0 गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल, आवास विकास कोलोनी बोदला, जगदीशपुरा, नगर (कमिश्नरेट

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(xi) **Suspicion approved** नहीं
(संदेह अनुमोदित):

(xii) **Status of the accused (suspect)** गिरफ्तार नहीं
(अभियुक्त (संदिग्ध) की स्थिति):

(xiii) **Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):**

(xiv) **Any Special remarks including reasons for not charge sheeting**
(आरोपपत्र दाखिल न करने के कारण सहित कोई विशेष अभ्युक्ति): अपराध मे शामिल होना नहीं पाया गया

13. Particulars of witnesses to be examined(पूछताछ किए जाने वाले गवाहों का विवरण):

S. No	Name/ Mob No	Father's/ Husband's name	Date/ Year of birth	Occupat ion	Address	Type of evidence to be tendered
(क्रं. सं.)	(नाम/ मो० नं०)	(पिता/पति का नाम)	(जन्म तिथि /वर्ष)	(व्यवसाय)	(पता)	(प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार)
1	पुनीतपाल बघेल / 8433004997		1985		वर्तमान पता: बीट अछनेरा रेंज किरावली, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: बीट अछनेरा रेंज किरावली, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत	शिकायतकर्ता
2	विवेचक अमित कुमार / 9149154459	:			वर्तमान पता: हाल तैनाती थाना किरावली, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: हाल तैनाती थाना किरावली, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत	अनुसंधान साक्षी
3	है०क० 649 मुकेश / 8433004997	:			वर्तमान पता: थाना किरावली, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: थाना किरावली, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
4	वन रक्षक भीकम सिंह / 8840240149	:			वर्तमान पता: वन रेंज किरावली आगरा, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: वन रेंज किरावली आगरा, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

5	वन दरोगा दामोदर सिंह / 9012377125	:			वर्तमान पता: वन रेंज ऑफिस किरावली आगरा, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: वन रेंज ऑफिस किरावली आगरा, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
6	जितेन्द्र सिंह / 7023177712	:			वर्तमान पता: गाव पुरामना, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: गाव पुरामना, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
7	किशन सिंह / 9675327914	:			वर्तमान पता: पुरामना, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: पुरामना, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
8	प्रमोद कुमार / 7820026826	:			वर्तमान पता: पुरामना, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: पुरामना, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
9	कुलदीप / 8868827789	:			वर्तमान पता: पुरामना, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: पुरामना, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
10	कुलजीत / 9808816898	:			वर्तमान पता: पुरामना, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: पुरामना, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह

11	तेजेन्द्र / 8077869420	:			वर्तमान पता: पुरामना, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: पुरामना, किरावली, पश्चिमी (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
----	---------------------------	---	--	--	---	-----------

14.If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C :

(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15.Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):

निषकर्ष/आरोप पत्र.....श्रीमान् जी वन रक्षक श्री पुनीतपाल बघेल पता बीट अछनेरा रेंज किरावली किरावली पश्चिमी कमि० आगरा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु०अ०सं० 112/2025 धारा 4,10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 व धारा 33 भारतीय वन अधिनियम 1927 बनाम 1. हरि सिंह पुत्र बालेराम 2. पप्पू पुत्र लाचारी राम 3. प्रकाश पुत्र पूरन समस्तगण नि० गाव पुरामना कस्बा किरावली कमि० आगरा 4. नेत्रपाल पुत्र चक्खन लाल नि० 628/1एन आर गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल आवास विकास कालोनी बोटला थाना जगदीशपुरा कमि० आगरा के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना हस्व आदेश श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय के मुझ उ०नि० प्रशिक्षु को सुपुर्द हुई अब तक की तमामी विवेचना बयान वादी, बयान फर्ट गवाह, बयान चश्मदीद गवाह बयान स्वतन्त्र गवाह, , निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन खसराखतौनी अन्य प्रपत्र, आदि अन्य संकलित साक्ष्यों से नामित आरोपी नेत्रपाल पुत्र चक्खन लाल उपरोक्त का अपराध में शामिल होना नहीं पाया गया है। अतः नेत्रपाल पुत्र चक्खन लाल उपरोक्त का नाम उक्त मुकदमे से पृथक किया गया है। तथा अभियुक्तगण 1. हरि सिंह पुत्र बालेराम 2. पप्पू पुत्र लाचारी राम 3. प्रकाश पुत्र पूरन समस्तगण नि० गाव पुरामना कस्बा किरावली कमि० आगरा के विरुद्ध धारा 4,10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 व धारा 33 भारतीय वन अधिनियम 1927 का आरोप बखूबी साबित होता है अतः अभियुक्तगण 1. हरि सिंह पुत्र बालेराम 2. पप्पू पुत्र लाचारी राम 3. प्रकाश पुत्र पूरन समस्तगण नि० गाव पुरामना कस्बा किरावली कमि० आगरा के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 88/2025 दिनांक 10/05/2025 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया जाता है, माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि सबूत तलब कर दण्डित करने की कृपा करे। विवेचना जरिये आरोप पत्र समाप्त की जाती है।

- 17.Refer Notice served** नहीं **Date(दिनांक):**
(जारी किए नोटिस):
(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):
- 18.Despatched on**(प्रेषण की तिथि):
- 19.No. of enclosures**(संलग्नको की संख्या):
- 20.List of enclosures : As annexed** (संलग्नको की सूची):
- 21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not:** (नाम और पता अभियुक्त , जो चालान नहीं किये गए हैं|चाहे पकडे गए हो या नहीं पकडे गए हों):
- 21क.Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम ,पता और आयु :**
- 21ख.The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम , पता और आयु :**
- 22. Names and addresses of the accused, who have been challaned**
(अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालन किया गया हो) :
- 22क.Name, address and age of the accused on bail**
(जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम,पता और आयु) :
- 22ख.Mafarur accused name, address and age /मफरुरअभियुक्त का नाम , पता और आयु :**
- 23.Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not.**(माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :
- 24. Result of trial** (मुकदमे का परिणाम) :
- 25. Complete Punishment** (पूर्ण सजाएँ) :
- 25क.Date** (दिनांक) :
- 25ख.Place** (स्थान) :

25ग.Punishment (सज़ा) :**Forwarded by Officer in charge**

(प्रभारी अधिकारी द्वारा अग्रेषित)

Name (नाम): PS KIRAWALI**Rank (पद):** COMMISSIONERATE AGRA
(Inspector)**No.(सं.):** 7839870599**Signature of Investigating Officer submitting
final report/charge sheet**(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच
अधिकारी के हस्ताक्षर)**Name (नाम):** AMIT Kumar**Rank (पद):** SI (Sub-Inspector)**No.(सं.):**

कार्यालय:- क्षेत्रीय वन अधिकारी आगरा शहर रेंज आगरा
पत्रांक- 95/33-1 आगरा, दिनांक 07 अगस्त, आगरा।
सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0प्रभाग, आगरा।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0संख्या-255/225 जगनप्रसाद तेहरिया वनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-672/35-3 दिनांक-01.08.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में कृष्णापुरी गढी भदौरिया स्थित पार्क की जमीन पर लगे अर्जुन, अलस्ट्रोनिया, अशोक एवं पाम के दो वृक्ष जिनकी तूँठ गोलाई क्रमशः 145, 125, 110, 110 एवं 140 सेमी. को दिनांक-26.04.2025 से 27.04.2025 की सुबह तक गिरा दिया गया। मौके से लकड़ी को बरामद कर डबल फाटक पौधशाला पर सुरक्षित रखवा दिया गया। तथा उक्त स्थल से काटे गये वृक्षों के वन अपराध में केदारनाथ पुत्र घनश्याम बाबू नि0-09/3/2 सेन्ट जान्स रोड नियर अंकुर डेयरी बाग मुज्जफर खां थाना-हरीपर्वत एवं मुकेश कुमार यादव पुत्र नामालूम मो0-8077550781 के विरुद्ध थाना-जगदीशपुरा में एफ.आई.आर.संख्या-241 दिनांक-27.04.2025 दर्ज कराई गई। एफ.आई.आर. की छायाप्रति संलग्नक है। मौके पर ली गयी फर्द बरामदगी की छायाप्रति संलग्न है। आरोप पत्र थाना जगदीशपुरा से सहायक पुलिस आयुक्त लोहामण्डी, आगरा में भेजा गया है जो उक्त कार्यालय में न्यायालय भेजने की प्रक्रिया में है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

01/08/2025
क्षेत्रीय वन अधिकारी
शहर रेंज, आगरा

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): नगर P.S. (थाना): जगदीशपुरा Year (वर्ष): 2025
(कमिश्नरेट आगरा)

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0241

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक
और समय): 27/04/2025 19:41 घंटे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): हस्तक्षेप दिन Date from (दिनांक से): 26/04/2025 Date To (दिनांक तक): 27/04/2025

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 27/04/2025 Time (समय): 19:41 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 052 Date and Time (दिनांक और समय): 27/04/2025 19:41 बजे

Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 02 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):
- (b) Address (पता): कृष्णापुरी गढी भदौरिया स्थित ,पार्क
- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): श्री अखिलेश
- (b) Father's Name (पिताका नाम): श्री उत्तम सिंह
- (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1995 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
- (e) UID No. (यूआईडी सं.):
- (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	हाल तैनाती वन रक्षक शहर रेंज , आगरा उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	नगला अकोश थाना , बलदेव, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-74518XXXXX

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात /
संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	केदार नाथ		पिता का नाम : घनश्याम बाबू	1. 9/3/2, सैंट जॉस रोड नियर अंकुर डेरी, मुजफ्फर खां थाना, हरि पर्वत, नगर (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
2	मुकेश कुमार यादव		पिता का नाम : नामालूम	1. अज्ञात, नगर (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
---------------------	---	--	------------------------	---------------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
---------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी लिखित वादी.....सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना जगदीशपुरा आगरा महोदय, निवेदन है कि कृष्णापुरी गढी भदौरिया स्थित पार्क की जमीन पर लगे अर्जुन ठूठ गोलाई 145 सेमी. अलस्ट्रोनियां ठूठ गोलाई 125 सेमी, अशोक 110 सेमी ठूठ गोलाई , पाय ठूठ गोलाई 110 सेमी व 140 सेमी. है । उक्त वृक्षों को आज रात्रि 26-4-25 से 27-4-25 की सुबह तक काटकर गिरा दिया गया लकड़ी मौके पर पडी मिली जिसकी फर्द तैयार कर लकड़ी को सुपुर्गदगी में लेकर शहर रेंज की उवल फाटक पौध शाला पर रखवा दिया है । कृष्णापुरी गढी भदौरिया पार्क से वृक्षों को अवैध रूप से काटने का कार्य केदार नाथ पुत्र घनश्याम बाबू निवासी 9/3/2 सेंट जॉस रोड नीयर अंकुर डेरी बाग मुजफ्फर खां थाना हरीपर्वत एवं मुकेश कुमार यादव पुत्र नामालूम मो0- 80775XXXXX द्वारा काटकर उ0प्र0 ग्रामीण एवं पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 अपराध किया है । अतः इनके विरुद्ध उ0प्र0 ग्रामीण एवं पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अन्तर्गत अपराध दर्ज कर कटाकर वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें । संलग्न:- फर्द वरामदगी प्रार्थी एसडी अंग्रेजी अपठित अखिलेश वनरक्षक शहर रेंज आगरा मो0 745180163नोट:----में का0 4948 सौरभ पाल प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल व कायमी मेरे द्वारा शब्द व शब्द कम्प्यूटर पर अक्षरशः अंकित की गयी । अलावा तकनीकी त्रुटि के ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1)

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): RAVITA CHAUDHARY Rank (पद): उपनिरीक्षक/अवर निरीक्षक

No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge,
Police Station (थाना प्रभारी के
हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Police Station Jagdishpura

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 9454402737

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष			-		चेचक: नहीं
2	पुरुष			-		चेचक: नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/ Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoder ma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

फर्द बरामदगी

आज दिनांक..... को समय..... वने, घटनास्थल.....

27-04-2025

॥ वजे गुाह

बुरा पुरी गढी/कूप

मसौरिया में पाकेले अवेध रूप से काटे गये गहुँ के निम्नलिखित प्रकार के वन उपज/सम्पत्ति को बरामद किया गया जो भारतीय वन अधिनियम की धारा 26/29 या वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा 4/90 के अधीन किये गये.....

अपराध के अन्तर्गत अभिगृहीत किये जाने योग्य हैं।

(अपराध का संक्षिप्त विवर)

बरामद की गयी सम्पत्ति का ब्यौरा

वन उपज/प्रकृष्ट/गैर सरकारी सम्पत्ति (अवेध रखने तथा अन्य कागजात सहित)

क्र. सं.	प्रजाति	गोल/उसी/...	लम्बाई/...	क्र. सं.	प्रजाति	गोल/उसी/...	लम्बाई/...
1-	अर्जुन	70 सेमी	160 सेमी	1-	अशोक	110 सेमी	150 सेमी
2-	—	90 "	140 "	2-	—	90 "	145 "
3-	—	88 "	110 "	3-	—	85 "	140 "
4-	—	55 "	35 "	4-	—	—	—
5-	—	40 "	110 "	1-	पाप	100 "	130 "
6-	—	70 "	120 "	2-	—	90 "	130 "
7-	—	65 "	100 "	3-	—	80 "	110 "
8-	—	65 "	115 "	4-	—	85 "	130 "
9-	—	50 "	115 "	5-	—	95 "	135 "
10-	—	45 "	105 "	6-	—	100 "	100 "
11-	—	85 "	100 "				
12-	—	60 "	125 "				
13-	—	45 "	50 "				
1-	अशोक	110 "	125 "				
2-	—	105 "	115 "				
3-	—	65 "	100 "				
4-	—	80 "	120 "				
5-	—	80 "	100 "				
6-	—	75 "	100 "				

हरताक्षर, नाम, पद सहित पूरा पते पर सरकारी कर्मचारी ही तो हरताक्षर नाम व पद तारीख सहित

बरामद करने वाले अधिकारी के हरताक्षर, नाम, पद

1-
2-
3-
4-

27-01-2025

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

FINAL FORM/ REPORT

अंतिम फार्म/रिपोर्ट

(Under Section 193 B.N.S.S.)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 193 बी एन एस एस के अन्तर्गत)

IN THE COURT OF : ACJM 01 (के न्यायालय में)

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** नगर (कमिश्नरेट आगरा)

P.S. (थाना): जगदीशपुरा

Year(वर्ष): 2025

FIR No.(प्र.सू.रि.स.):0241

Date(दिनांक): 27/04/2025

2. **Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.):** 01

3. **Date(दिनांक):** 21/05/2025

4. S.No.	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 4	
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 10	

5. **Type of Final Form/Report** आरोप पत्र
(अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):

6. **If FR Unoccurred**
(यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):

7. **If Charge sheet** मूल
(यदि आरोप पत्र दाखिल किया):

8. Name of I.O. at the time of charge sheet RAVITA CHAUDHARY
(आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम):

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.):

9. (a) (क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इतिला देने वाले का नाम):
श्री अखिलेश

(b) (ख) Father 's Name (पिता का नाम) : श्री उत्तम सिंह

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:

(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S. No	Property Description	Estimated Value (in Rs.)	Police Station Property Register No.	From whom/ where recovered or seized	Disposal
(क्र. सं.)	(सम्पत्ति का विवरण)	(अनुमानित मूल्य (रु.में))	(थाना सम्पत्ति रजिस्टर सं.)	(कहाँ/किससे जब्त अथवा बरामद की गई)	(निराकरण)

11. Particulars of accused persons charge-sheeted(आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

S. No.(क्र.सं.): 1

(i) Name केदार नाथ

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): घनश्याम बाबू

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1985

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	म0न0 9/312, सैंट जौंस रोड नियर अंकुर डेरी , मुजफ्फर खां थाना , मदन मोहन गेट, नगर (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	म0न0 9/312, सैंट जौंस रोड नियर अंकुर डेरी , मुजफ्फर खां थाना , मदन मोहन गेट, नगर (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
--------------------	----------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 2

(i) Name मुकेश कुमार यादव

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): राजेलाल

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1977

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	म0नं0 64/243, हस्तीनापुरी सोओडी मार्ग, सदर बाजार, नगर (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	म0नं0 64/243, हस्तीनापुरी सोओडी मार्ग, सदर बाजार, नगर (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
--------------------	----------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य) :

12. Particulars of accused persons - not charge sheeted (suspect)

(आरोप पत्र दाखिल न किए गए (संदिग्ध) अभियुक्तों का विवरण):

13. Particulars of witnesses to be examined (पूछताछ किए जाने वाले गवाहों का विवरण):

S. No . (क्र. सं.)	Name/ Mob No (नाम/ मो० नं०)	Father's/ Husband's name (पिता/पति का नाम)	Date/ Year of birth (जन्म तिथि /वर्ष)	Occupat ion (व्यवसाय)	Address (पता)	Type of evidence to be tendered (प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार)
1	श्री अखिलेश / 7451801630	पिता: श्री उत्तम सिंह	1995		वर्तमान पता: आगरा ,हाल तैनाती वन रक्षक शहर रेंज ,, नगर (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: नगला अकोश थाना ,बलदेव, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	शिकायतकर्ता

2	कां0 4948 सौरभपाल / 7037255871	:	1997	वर्तमान पता: थाना जगदीशपुरा कमि0 आगरा,जगदीशपुरा,नगर (कमिश्नरेट आगरा),उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: थाना जगदीशपुरा कमि0 आगरा,जगदीशपुरा,नगर (कमिश्नरेट आगरा),उत्तर प्रदेश, भारत	औपचारिक गवाह
3	संदीप चाहर / 7906214086	:	1997	वर्तमान पता: वन रक्षक शहर रेंज आगरा ,,नगर (कमिश्नरेट आगरा),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: थाना मलपुरा आगरा ,ग्वालियर रोड ग्रा0 भांडई ,मलपुरा,पञ्चमी (कमिश्नरेट आगरा),उत्तर प्रदेश, भारत	बरामदगी साक्ष्य
4	उ0नि0 रविता चौधरी / 9520670562	:	1985	वर्तमान पता: थाना जगदीशपुरा कमि0 आगरा,जगदीशपुरा,नगर (कमिश्नरेट आगरा),उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: थाना जगदीशपुरा कमि0 आगरा,जगदीशपुरा,नगर (कमिश्नरेट आगरा),उत्तर प्रदेश, भारत	अनुसंधान साक्षी

14.If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C / 217/248 B.N.S :

(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 / 217/248 बी एन एस के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15.Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त शिकायतकर्ता/वादी श्री अखिलेश पुत्र श्री उत्तम सिंह नि. वन रक्षक शहर रेंज आगरा मो नं. 7451801630 उम्र करीब 24 वर्ष की तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 0241/2025 धारा 04/10 उ0प्र0 ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों का संरक्षण अधिनियम 1976 बनाम अभि0गण 1.मुकेश कुमार यादव व 2.केदारनाथ के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना मुझ उ0नि0 के सुपुर्द हुई मुझ उ0नि0 द्वारा विवेचना ग्रहण कर सम्पादित की गयी । अब तक की तमामी विवेचना बयान वादी , निरीक्षण घटनास्थल, बयान गवाह फर्द बरामदगी, फर्द बरामदगी, तथा घटनास्थल के आसपास में की गयी पुँछताँछ आदि विवेचनात्मक कार्यवाही से अभि0गण 1.केदारनाथ पुत्र घनश्याम बाबू निवासी म0नं0 9/312 बाग मुजफ्फर खां सैट जौस रोड नियर अंकुर डेरी थाना एम.एम.गेट

आगरा 2. मुकेश कुमार यादव पुत्र राजेलाल नि० 64/243 हस्तीनापुरी सी.ओ.डी मार्ग थाना सदर आगरा के विरुद्ध जुर्म धारा 04/10 उ०प्र० ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों का संरक्षण अधिनियम 1976 बाखुबी साबित है। अतः अभि०गण मुकेश कुमार यादव व अभि० केदारनाथ उपरोक्त के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 04/10 उ०प्र० ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों का संरक्षण अधिनियम 1976 मा० न्यायालय प्रेषित किया जाता है। मा० न्यायालय से अनुरोध है कि सबूत तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करे। विवेचना जरिये आरोपपत्र संख्या 236/2025 दिनांक 21/05/2025 को समाप्त की जाती है।

17.Refer Notice served नहीं

Date(दिनांक):

(जारी किए नोटिस):

(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18.Despatched on(प्रेषण की तिथि): 21/05/2025

19.No. of enclosures(संलग्नको की संख्या):

20.List of enclosures : As annexed (संलग्नको की सूची):

21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not: (नाम और पता अभियुक्त , जो चालान नहीं किये गए हैं। चाहे पकड़े गए हो या नहीं पकड़े गए हों):

21क.Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम , पता और आयु :

21ख.The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम ,पता और आयु :

22. Names and addresses of the accused, who have been challaned (अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालन किया गया हो) :

22क.Name, address and age of the accused on bail

(जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम,पता और आयु) :

22ख.Mafarur accused name, address and age /मफरुरअभियुक्त का नाम , पता और आयु :

23.Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not.(माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :

- 24. Result of trial (मुकदमे का परिणाम) :**
25. Complete Punishment (पूर्ण सजाएँ) :
25क.Date (दिनांक) :
25ख.Place (स्थान) :
25ग.Punishment (सज़ा) :

Forwarded by Officer in charge
(प्रभारी अधिकारी द्वारा अग्रेषित)
Name (नाम): Police Station Jagdishpura
Rank (पद): I (Inspector)
PNO/CUG No. 9454402737
पीएनओ/सीयूजी सं:

**Signature of Investigating Officer submitting
final report/charge sheet**
(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच
अधिकारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): RAVITA CHAUDHARY
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
PNO/CUG No.
पीएनओ/सीयूजी सं: